# दिनॉक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तावित जिला उद्योग मित्र बैठक हेतु एजेण्डा

विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि– महोदया अवगत कराना है कि जिला उद्योग मित्र की विगत बैठक दि0 27 मई, 2023 को आपके निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या 211–सी दिनांक 02 जून, 2023 द्वारा सभी सदस्यों/विभागों को अनुपालनार्थ /सूचनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।

1– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 : उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग संख्या 1145/VII-3,23/04 (01) एम.एस.एम.ई.2023 दिनॉक 09 अगस्त, 2023 के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। महोदया के निर्देशानुसार उद्यमियों के मार्गदर्शन हेतु परिचर्चा।

## बैठक (दिनॉक 27 मई, 2023) को सम्पन्न बैठक में लम्बित बिन्दुओं पर कार्यवाही

| क्र. सं. | बैठक से सम्बन्धित बिन्दु | अब तक की की गई कार्यवाही की प्रगति | सम्बन्धित विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ➢ कालाढूंगी से कोटाबाग मोटरमार्ग के चौड़ीकरण किये जाने सम्बन्धी।<br>➢ बजूनिया हल्दू–मूसाबंगर होते हुए कोटाबाग बाजार तक के मार्ग निर्माण सम्बन्धी माग सम्बन्धी बिन्दु। | कालाढूंगी से कोटाबाग मोटरमार्ग के चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मार्ग चौड़ीकरण किये जाने हेतु 32 कि.मी. लम्बाई हेतु रू0 73.28 लाख का प्रथम चरण के कार्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक 922/13याता0–ह0/2020 दिनॉक 25–02–2021 द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया है।<br>प्रकरण के सन्दर्भ में विगत बैठक में अधि0अभि0, लो0नि0वि0, रामनगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावित सड़क के चौड़ीकरण हेतु ट्रैफिक सेंसर का मानक काफी कम होने के कारण प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल पाने में कठिनाईया आ रही है। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अधि0अभि0 को निर्देशित किया गया कि इण्डस्ट्रीयल सेटअप के मानक के अनुरूप उक्त सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर अपना Feedback उच्च स्तर पर प्रेषित करे।<br>उपरोक्त के अतिरिक्त उद्यमियों की मांग पर कालाढुंगी से कोटाबाग मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के बजूनिया–हल्दू–मूसाबंगर होते हूए पतलिया गॉव से कोटाबाग बाजार तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 7 कि.मी.) के चौडीकरण हेतु अनुमानित लागत 21.00 लाख का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक 2784/13 याता0–हल्द्वानी/2020 दिनॉक 29–10–2022 द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित कर दिया गया है। प्रकरण पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उक्त आगणनों पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृती प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये है। विगत बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा अधि0अभि0, लो0नि0वि0, रामनगर को प्रस्तावों पर | अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रामनगर। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | लगातार फोलोऑफ कर, आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।<br>**सम्बन्धित प्रकरणों पर अद्यतन प्रगति से अवगत कराने हेतु कार्यालय के माध्यम से अधि0अभि0, लो0नि0वि0, रामनगर को पत्र, संख्या 579 दिनॉक 30 अगस्त, 2023 प्रेषित किया गया। अधि0अभि0, लो0नि0वि0, रामनगर कृपया अध्यावधिक प्रगति से अवगत कराये।** | |
| 2 | ➢ सूर्या गांव साततालम–मोटर मार्ग निर्माण किये जाने से सम्बन्धित बिन्दु। | सूर्यागॉव सातताल मोटर मार्ग निर्माण किये जाने सम्बन्धित प्रकरण पर सम्बन्धित विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के प्रथम चरण का आगणन रू0 61.50 लाख का गठित कर मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक 6526/12याता– हल्द्वानी/2020 दिनॉक 30–12–2021 के द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्रांक 700–03/जि.उ.के./उद्योग मित्र दिनांक 27–07–2022 द्वारा आगणन प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी/अध्यक्ष अनुस्मारक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 1675–सी दिनॉक 08 फरवरी, 2023 द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। विगत बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा अधि0अभि0, लो0नि0वि0, भवाली को उक्त आगणन प्रस्ताव पर प्रशासकिय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उच्च स्तर पर लगातार फोलोअप करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनॉक 26 जुलाई, 2023 को प्रकरण मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की प्राधिकृति समिति की बैठक में भी रखा गया है।<br>**सम्बन्धित प्रकरण पर अद्यतन प्रगति से अवगत कराने हेतु कार्यालय के माध्यम से अधि0अभि0, लो0नि0वि0, भवाली को पत्र, संख्या 580 दिनॉक 30 जुलाई, 2023 प्रेषित किया गया। अधि0अभि0, लो0नि0वि0, भवाली कृपया अध्यावधिक प्रगति से अवगत कराये।** | अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवाली। |
| 3 | ➢ ग्राम हरिपुर मोतिया (बेलबाबा मन्दिर से पहले) रामपुर रोड, हल्द्वानी से लगे भारत माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं अन्य इकाईयों को जाने वाले संपर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक बिन्दु। | ग्राम हरिपुर मोतिया (बेलबाबा मन्दिर से पहले) रामपुर, रोड हल्द्वानी से भारत माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं अन्य इकाईयों को जाने वाले सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में दिनॉक 27 मई, 2023 की बैठक में उपस्थित हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकाररियों द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला योजना मद के अन्तर्गत उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कराया जा सकता है, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अगर उक्त सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव दो चरणों में मा0 विधायक/मा0 मंत्री जी के माध्यम से आता है, तदोपरान्त उक्त प्रस्तावों को जिला योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा। चैम्बर द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का आश्वासन दिया गया। अधि0अभि0, लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया कि चैम्बर से प्रस्ताव प्राप्त होते ही आगणन महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।<br>**प्रकरण पर अध्यावधिक प्रगति से अवगत कराये।** | हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | ➢ लीसे की नीलामी पूर्व की भांति हल्द्वानी से कराये जाने तथा लीसा इकाईयों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं संचालन हेतु पूर्व की भांति प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग से कराये जाने विषयक। | मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड केमिकल द्वारा नैनीताल नारायण नगर में होने वाली लीसे की नीलामी पूर्व की भांति हल्द्वानी में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है तथा हिमालयन चैम्बर द्वारा लीसा इकाईयों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं संचालन हेतु पूर्व की भांति प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग से कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।<br>उक्त प्रकरणों के क्रम में दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में सचिव वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्रांक 1679–सी दिनॉक 08 फरवरी, 2023 प्रेषित किया गया है। जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है। | प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल |
| 5 | ➢ कोटाबाग मे स्थित इकाईयों में विद्युत की अनियमतता के सम्बन्ध में। | सम्बन्धित प्रकरण पर विगत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्या के निवारण हेतु विद्युत सप्लाई के रोस्टिंग का समय निर्धारित करने एवं वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर विद्युत लाईनों के समीप आ रहे वृक्षों के पातन की कार्यवाही करने तथा नयागांव क्षेत्र में 33 के.वी. उपसंस्थान हेतु सरकारी भूमि चिन्हित किये जाने के लिए उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।<br>उक्त निर्देशों के क्रम में सरकारी भूमि चिन्हित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1677–सी दिनॉक 08 फरवरी, 2023 द्वारा समिति का गठन कर लिया गया है, अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर के पत्रांक 1736 दिनॉक 03 मई, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आकस्मिक रोस्ट्ररिंग एवं ब्रेकडाउन को छोडकर शटडाउन को समय निर्धारित कर दिया गया है। विद्युत लाईनों के समीप आ रहे वृक्षों की टहनियों की लौंपिक–चौपिंग करा दी गयी है एवं झुलते तारो के बीच में 42 नग पोल स्थापित किये जा चुके है जिससे ब्रेकडाउन में कमी आयी है। कोटाबाग क्षेत्र में औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु स्वतंत्र औद्योगिक फीडर बनाने से सम्बन्धित आद्योगिक पोषक सर्वे के उपरान्त प्राकलन रू0 497.00 लाख का इस कार्यालय के पत्रांक 2492 दिनॉक 21–07–2023 के माध्यम से निदेशक (परिचालन) उपाकालि, देहरादून को प्रेषित किया गया है। जिस पर शासन से स्वीकृति अपेक्षित है तथा 33 के0वी0 के नये उपसंस्थान निर्माण हेतु गठित समिति द्वारा साईट सर्वे कर भूमि चयन की प्रक्रिया गतिमान है।<br>विगत बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया कि कोटाबाग क्षेत्र में औद्योगिक फीडर बनाने हेतु प्रेषित प्राकलन का प्रत्येक माह में फोलोऑफ किया जाए। वर्तमान में श्रीमॉ इन्टरप्राईजेज का कोटाबाग क्षेत्र में विद्युत अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है।<br>**सम्बन्धित प्रकरण पर अद्यतन प्रगति से अवगत कराने हेतु कार्यालय के माध्यम से अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर को पत्र, संख्या 581 दिनॉक 30 अगस्त, 2023 प्रेषित किया गया। अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर कृपया अध्यावधिक प्रगति से अवगत कराये।** | अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | ➢ सोप स्टोन के भण्डारण विषयक बिन्दु | हिमालयन चैम्बर ऑफ कार्मस एवं इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों द्वारा दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को सम्पन्न जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में अवगत कराया गया कि तहसील हल्द्वानी व तहसील लालकुऑ के अन्तर्गत अधिकांश इकाईयों के आवेदन पत्र खनन एवं राजस्व विभाग स्तर पर लम्बित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर लम्बित आवेदनों पर अनुज्ञाए जारी करवाने हेतु निर्देशित किया। कार्यालय पत्रांक 18 दिनॉक 11 अप्रैल, 2023 द्वारा इकाईयों की अनुज्ञा की उद्यतन स्थिति हेतु अपर जिलाधिकारी/उपनिदेशक खनन को पत्र प्रेषित किया गया। तदोपरान्त मुख्य विकास अधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न विगत बैठक में निर्देशित किया था कि तहसीलदार/एस.डी.एम. तथा खनन विभाग स्तर पर लम्बित ऐसे आवेदन पत्र/प्रकरण जिन पर वांछित औपचारिकताए पूर्ण की जा चुकी हैं एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जा चुका है तथा काफी समय से लंबित है, उन सभी पर 05 दिवस के भीतर अनुमति/अनुज्ञाएं जारी करते हुए विवरण जिलाधिकारी महोदया के समझ रखना सुनिश्चित करे। कृपया अद्यतन प्रगति से अवगत कराये। | उपनिदेशक खनन/अपर जिलाधिकारी (वि/रा), नैनीताल |
| 7 | ➢ भीमताल स्थित आणु नाले के दिशा परिवर्तन के सम्बन्ध में। | उक्त प्रकरण पर दिनॉक 27 मई, 2023 को सम्पन्न बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल भीमताल द्वारा अवगत कराया गया कि भीमताल स्थित आणु नाले से जल बहाव के कारण औद्योगिक क्षेत्र के प्रभावित होने के दृष्टिगत नाले की दिशा परिवर्तन की जानी अनिवार्य है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त पर अधि0अभि0, सिचाई विभाग को फेज वाइस इस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।<br>**सम्बन्धित प्रकरण पर अद्यतन प्रगति से अवगत कराने हेतु कार्यालय के माध्यम से अधि0अभि0, सिंचाई विभाग, नैनीताल को पत्र, संख्या 578 दिनॉक 30 अगस्त, 2023 प्रेषित किया गया। अधि0अभि0, सिचाई विभाग, नैनीताल कृपया अध्यावधिक प्रगति से अवगत कराये।** | अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग, नैनीताल |
| 8 | ➢ मैसर्स तेजल ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज, कठघरिया हल्द्वानी के ऋण पर ओटीएस सम्बन्धित प्रत्यावेदन की वस्तुस्थिति को उद्योग मित्र में रखे जाने सम्बन्धित प्रकरण। | सम्बन्धित प्रकरण पर दिनॉक 27 मई, 2023 को सम्पन्न बैठक में इकाई मै0 तेजल ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज कठघरिया, की पार्टनर द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक ऑफ बडौदा शाखा लोहरियाशाल तल्ला हल्द्वानी द्वारा बन्धक की गयी उनकी इकाई में से मशीने/स्टॉक का सामान चोरी कर लिया गया है, जिसकी जॉच हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी हल्द्वानी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 212–सी दिनॉक 02 जून, 2023 के माध्यम से उपजिलाधिकारी हल्द्वानी की अध्यक्षता में, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कार्मस के पदाधिकारी तथा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र हल्द्वानी की समिति का गठन किया गया। गठित समिति द्वारा दिनॉक 17 जून, 2023 को बैठक कर जॉच प्रारम्भ की गयी तथा दिनॉक 20 जून, 2023 को सम्बन्धित इकाई को भौतिक निरीक्षण किया गया। महोदया के संज्ञानार्थ लाना है कि जॉच के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा, हल्द्वानी की ओर से **इस कार्यालय को श्री सिद्धार्थ जैन, वकील माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र दिनांक 15.07.2023** के माध्यम से **लीगल नोटिस प्राप्त हुआ** | महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | है, जो मैसर्स तेजल ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज, कठघरिया हल्द्वानी की पार्टनर श्रीमती गीता रानी निवासी बजूनिया हल्दू नियर सॉई मंदिर कठघरिया हल्द्वानी को बैंक ऑफ बड़ौदा हल्द्वानी से वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 09.05.2022 में दिये गये स्थगन आदेश/नोटिस के सम्बन्ध में हैं।** जिसके क्रम में इस कार्यालय के **पत्रांक 364 दिनांक 20.07.2023** के द्वारा **जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) जिला नैनीताल** से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 09.05.2022 के स्थगन आदेश के सम्बन्ध में विधिक राय चाही गयी थी। **जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) जिला नैनीताल द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.07.2023 के माध्यम से यह विधिक राय दी गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2022 में दिये गये निर्देशों में आगे कोई पारिमाणिक कदम उठाना उचित प्रतीत नहीं होता है।** | |

➢ नये बिन्दु : हिमालयन चैम्बर ऑफ कार्मस एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत :

1– श्री अनुज जिन्दल, प्रो0 शुभम एजेंसीज, हल्द्वानी के काशीपुर अर्बन कॉ–आपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी में संचालित खाते के एन0पी0ए0 हो जाने के सम्बन्ध में।

2– पीरूल कलैक्सन पर आ रही समस्याओं के निदान विषयक।

➢ उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर समिट–2023 : माह दिसम्बर, 2023 में प्रस्तावित उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर समिट–2023 पर चर्चा।

➢ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर चर्चा।

➢ अन्य बिन्दु– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।